भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2067

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रोगी-चिकित्सक अनुपात

+2067. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सा सम्बन्धी अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्रचलित और वांछित रोगी-चिकित्सक अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोगी-चिकित्सक अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): आज की स्थिति के अनुसार, देश में 731 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 1,12,112 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता है। इसके अलावा, आज की स्थिति के अनुसार 72,627 पीजी सीटें हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2024 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के साथ 13,86,136 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% उपलब्धता और लगभग 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों को मानते हुए, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:836 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से बेहतर है। राज्य चिकित्सा परिषदों/एनएमसी के साथ पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में है।

देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय/कदम इस प्रकार हैं: -

i. जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र

प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके अंतर्गत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 109 पहले से ही कार्यरत हैं।

ii. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ/उन्नत करने के लिए सीएसएस, जिसके तहत 5972.20 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, 1498.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-I में 72 कॉलेजों में 4058 पीजी सीटों और 4478.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से चरण-II में 65 कॉलेजों में 4000 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाना।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में दिनांक 02.08.2024 को उत्तर हेतु संदर्भित अनुलग्नक

जुलाई, 2024 तक राज्य चिकित्सा परिषदों/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश चिकित्सा परिषद	105805
2.	अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद	1660
3.	असम चिकित्सा परिषद	25980
4.	बिहार चिकित्सा परिषद	48200
5.	छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद	10962
6.	दिल्ली चिकित्सा परिषद	31479
7.	गोवा चिकित्सा परिषद	4720
8.	गुजरात चिकित्सा परिषद	79169
9.	हरियाणा चिकित्सा परिषद	15714
10.	हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद	7296
11.	जम्मू और कश्मीर चिकित्सा परिषद	18720
12.	झारखंड चिकित्सा परिषद	8544
13.	कर्नाटक चिकित्सा परिषद	141154
14.	मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद	49730
15.	महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद	209540
16.	पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद	52667
17.	मिजोरम चिकित्सा परिषद	156
18.	नागालैंड चिकित्सा परिषद	166
19.	उड़ीसा चिकित्सा पंजीकरण परिषद	29792
20.	पंजाब चिकित्सा परिषद	53446
21.	राजस्थान चिकित्सा परिषद	49049
22.	सिक्किम चिकित्सा परिषद	1880
23.	तमिलनाडु चिकित्सा परिषद	149399
24.	त्रावणकोर चिकित्सा परिषद	73069
25.	उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद	99737
26.	उत्तरांचल चिकित्सा परिषद	10249
27.	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद	78759
28.	त्रिपुरा चिकित्सा परिषद	2683
29.	तेलंगाना चिकित्सा परिषद	26411
	कुल योग	1386136

श्रोत – राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

नोट – पूर्ववर्ती एम सी आई ने 2015 से पंजीकरण रोक दिया था।
